आगरा विकास प्राधिकरण
जयपुर हाउस, आगरा।

निविदा सूचना सं०–609/डी/प्र०(अनु०)/24-25 दिनांक : 31/08/24

ई–निविदा सूचना

आगरा विकास प्राधिकरण में निम्नलिखित कार्यों हेतु शासकीय/अर्द्धशासकीय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित क्षेत्र में नियमानुसार पंजीकृत फर्मों से अति अल्पकालीन ई–निविदा (Open e-tender) आमंत्रित की जाती है :–

क्र. सं.	कार्य का नाम	बी.ओ.क्यू. धनराशि (रू0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रू0 में)	निविदा मूल्य समस्त करों सहित (रू0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	खण्ड का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	वजीरपुरा स्थित कोठी नं0–3 की मरम्मत एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य।	16.41	33,000/-	1,180/-	01 माह	अनुरक्षण खण्ड
2	आयुक्त कार्यालय के सभागार में सौन्दर्यीकरण एवं रैस्ट रूम की छत बदलने का कार्य।	12.90	26,000/-	1,180/-	01 माह	अनुरक्षण खण्ड

- उक्त कार्य की ई–निविदा दिनांक 12.09.2024 को आमंत्रित की जाती है। यह निविदा दिनांक 02.09.2024 से 12.09.2024 के अपरान्ह् 3:00 बजे तक ई–निविदा पोर्टल www.etender.up.nic.in पर डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है।
- निविदा संबंधी विस्तृत शर्तें एवं अन्य विवरण प्राधिकरण की बेवसाइट www.adaagra.in पर देखी जा सकती है।

नियम व शर्तें:–

1. उक्त कार्य की ई–निविदा दिनांक 12.09.2024 को आमंत्रित की जाती है, जो कि उसी दिन अपरान्ह् 04:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेंगी।
2. निविदा प्रपत्र दिनांक 02.09.2024 के अपरान्ह् 12:30 बजे से दिनांक 12.09.2024 के अपरान्ह् 3:00 बजे तक ई–निविदा पोर्टल www. etender.up.nic.in पर डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है।
3. वांछित धरोहर धनराशि RTGS/NEFT के माध्यम से निविदा तिथि से एक दिन पूर्व तक वेबसाइट https://induscollect.indusind.com/pay/index.php से जमा करना अनिवार्य होगा तथा इसके साक्ष्य के रूप में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा की गयी धरोहर धनराशि के यू.टी.आर. नंबर का विवरण भी निविदा के साथ अपलोड कराया जाना आवश्यक है अन्यथा की दशा में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. निविदा अपलोड करने से पूर्व निविदादाता स्थल निरीक्षण कर कार्य सम्पादन की परिस्थितियों का आंकलन अवश्य कर लें। समस्त शंकाओं का समाधान सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता से कर लें। निविदा अपलोड करने के उपरान्त् निविदादाता का कोई अन्य पक्ष मान्य न होगा। सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
5. शासकीय/अर्द्धशासकीय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित क्षेत्र में नियमानुसार पंजीकृत फर्मों को ई–टेण्डर की खुली निविदा में (Open e-tender) प्रतिभाग करने की अनुमति प्राधिकरण हित में एतदद्वारा इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि अर्ह फर्म (L1) को प्राधिकरण में नियमानुसार पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
6. निविदादाता द्वारा शासकीय/अर्द्धशासकीय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित क्षेत्र में नियमानुसार पंजीकरण का प्रमाण–पत्र निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
7. विशिष्ट प्रकार के कार्यों के अन्तर्गत प्रश्नगत् कार्य में दक्ष निविदादाता/फर्म द्वारा भाग लिया जा सकता है। इन कार्यों हेतु प्राधिकरण में पंजीकरण की बाध्यता न होगी। सफल निविदादाता को पंजीकरण की औपचारिकताएं पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
8. निविदा की दरें शब्दों एवं अंकों में स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी।
9. निविदा की दरें कार्य की लागत से निम्न होने की दशा में लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या–622/23–12–2012–2 ऑडिट/08 टी.सी. 2, दिनांक 08 जून, 2012 के अनुसार वांछित परफोरमेन्स गारन्टी अनुबन्ध से पूर्व देय होगी।
10. सभी निविदादाताओं को आयकर, श्रम विभाग, जी.एस.टी. एवं अन्य कोई विभाग (जहाँ कोई टैक्स देय हो) में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
11. विद्युत सम्बन्धी कार्य विद्युत सुरक्षा निदेशालय से प्राप्त न्यूनतम 'क' श्रेणी लाइसेंस धारकों द्वारा उ.प्र. पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड/टोरण्ट पॉवर लिमिटेड की विशिष्टियों के अनुरूप तथा सिविल कार्य उ.प्र. लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप कराये जाने होंगे।
12. उपरोक्त कार्यों में टू बिड सिस्टम के अन्तर्गत निविदायें आमंत्रित होंगी। तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जाएगी।
13. निविदादाताओं से अपेक्षा की जाती है कि अपना बैंक एकाउन्ट संख्या एवं आई.एफ.एस.सी. कोड का उल्लेख कर दें ताकि असफल निविदादाताओं की धरोहर धनराशि उनके बैंक एकाउन्ट में हस्तानान्तरित की जा सके।

क्रमशः.....

14. निविदा के साथ रू0 100/– का स्टाम्प पेपर एवं रू 02/– का रसीदी टिकट अपलोड करना होगा।
15. निविदादाता कम्पनी के निदेशक या फर्म के पार्टनर को इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि प्रश्नगत् निविदा प्रक्रिया में भागीदार अन्य किसी फर्म या कम्पनी में न तो वह स्वयं पार्टनर है न ही निदेशक है।
16. समस्त प्रकार के कार्यो (विशिष्ट श्रेणी/विद्युत सम्बन्धी कार्यो) में समान प्रकृति के कार्यों का अनुभव रखने वाली फर्म द्वारा ही निविदा में प्रतिभाग किया जा सकेगा।
17. निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकारी निर्विवाद रूप से उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, में निहित होगा, जिसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकेंगी।

प्रभारी अनुरक्षण

निविदा सूचना सं0 : ..../ दिनांक :

प्रतिलिपिः–

1. उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. सचिव महोदया को सूचनार्थ।
3. वित्त नियन्त्रक महोदय को सूचनार्थ।
4. जनसम्पर्क अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया इसे नियमानुसार वेबसाइट एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करायें।
5. नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

31.8.2024
प्रभारी अनुरक्षण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Pratap
Date: 2024.09.02 13:56:12 IST
Location: Uttar Pradesh-UP